IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

SAMAJIK ANUSANDHAN TATHYA SANKALAN KI PRAVIDHIYAN/UPKARAN

सामाजिक अनुसंधान – तथ्य संकलन की प्रविधियां/उपकरण

डॉ. ऋतु सारस्वत, आचार्या, समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, पुष्कर, राजस्थान

कौशल्या अरोड़ा, शोधार्थी, समाज शास्त्र, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान

शोध पत्र सारांश

मनुष्य एक चिंतनशील एवं जिज्ञासु प्राणी है, अतः वह अपने चारों और के रहस्यमयी संसार को देखने, समझने व घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को खोजने का प्रयास करता है। उसकी ये खोज ही अनुसंधान के अन्तर्गत आती है और जब यही खोज सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत की जाती है तो वह सामाजिक अनुसंधान कहलाती है।

अतः सामाजिक अनुसंधान खोज की ऐसी विधि है जिसमें सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में किसी घटना, व्यवहार, सामाजिक जीवन अथवा समस्या के संबंध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए सामाजिक यर्थाथता को समझने का प्रयास किया जाता है।

कोई भी सामाजिक अनुसंधान तथ्य संकलन के बिना पूरा नहीं हो सकता। किसी भी शोध प्रक्रिया में तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं। जब तक कि वस्तुनिष्ठ तरीके से तथ्य संकलन ना हो।

मुख्य रूप से दो प्रकार के तथ्य संकलित किये जाते है।

1. **प्राथमिक तथ्य –** जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर एकत्रित करता है।
2. **द्वितीयक तथ्य –** जो किसी के द्वारा अर्थात् पत्र–पत्रिकाओं पुस्तकों, जीवन–इतिहास, डायरियों, प्रलेखों व रिपोर्टस के द्वारा एकत्रित किये जाते है।

अनुसंधान हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले तथ्यों को शोधकर्ता कभी भी मनमाने ढंग से संकलित नहीं कर सकता। क्योंकि कोई भी अनुसंधान तब तक वैज्ञानिक नहीं हो सकता जब तक कि तथ्य संकलन वस्तुनिष्ठता व विश्वसनीयता के साथ ना हो।

तथ्य संकलन हेतु प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्त्रोतों का प्रयोग किया जाता हैः–

1. **प्रत्यक्ष स्त्रोत –** वे स्त्रोत हैं जिसमें अध्ययनकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर शोधकर्ता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके तथ्य संकलन करता है तथा इस हेतु मुख्य रूप से अवलोकन, अनुसूची एवं

साक्षात्कार का तथ्य संकलन हेतु उपयोग करता है।

2. **अप्रत्यक्ष स्त्रोत** – वे स्त्रोत है जिसमें अध्ययनकर्ता स्वयं उत्तरदाता से सीधा संपर्क स्थापित न करके प्रश्नावली, रेडियो या टेलिविजन अपील, टेलिफोन इत्यादि के द्वारा तथ्य संकलन का प्रयास करता है।

अतः अनुसंधान के जो उपकरण प्रयोग में लिए जाते हैं वे सदा सटीक व विश्वसनीय होने चाहिये। अनुसंधान उपकरण चुनने में उपकरण की वैधता, विश्वसनीयता, समय, संसाधन तथा पर्यवेक्षक की राय को महत्वपूर्ण माना जाता है। तब ही अनुसंधान हेतु प्रयोग किए गए उपकरण व अनुसंधान दोनों सफल माने जायेगे और सामाजिक विज्ञान हेतु उपयोगी सिद्वांतों का निर्माण हो सकता है।

मुख्य बिन्दु – सामाजिक अनुसंधान, तथ्य, स्त्रोत, प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन, साक्षात्कार।

परिचय

किसी भी सामाजिक अनुसंधान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शोधकर्ता द्वारा जो तथ्य एकत्रित किए गए है वे कितने विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ हैं। तथ्यों की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि सामाजिक अनुसंधान के अन्तर्गत तथ्य संकलन हेतु जिन स्त्रोतों व उपकरणों का प्रयोग किया गया हैं, वो सही है या नहीं। क्योंकि तथ्य संकलन में प्रयोग लिए गए स्त्रोंतों का विषेष महत्व है। तथ्य संकलन को बहत ही संक्षिप्त रूप से लिखते हुए

गालटंग ने अपनी पुस्तक – "Theory and Methods of Social Research" में लिखा है कि – ‘‘सामाजिक अध्ययन में तथ्य संकलन से तात्पर्य केवल उन्हीं तथ्यों को एकत्रित करने से हैं जिन्हें अवलोकन के द्वारा प्राप्त किया जा सकें, ये तथ्य चाहे दृश्य हो या निहित हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधान के अन्तर्गत तथ्य संकलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण माना जाता है।

प्रारंभ में मनुष्य ने सामाजिक घटनाओं की व्याख्या पारलौकिक शक्तियों, कोरी कल्पनाओं के आधार पर की है। सामाजिक अनुसंधान का बीजारोपण भी वहीं से होता है जहां वे अपनी व्याख्या के संबंध में संदेह प्रकट करता है। अर्थात् घटना के पीछे छिपे कारणों को खोजने लगा। अनुसंधान की जो विधियां प्राकृतिक विज्ञानों में सफल हुई। उन्हीं का प्रयोग शनै–शनै सामाजिक घटनाओं की समझ को विकसित करने में भी होने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुंधान में तथ्यों के अन्तर्गत केवल उन्हीं सूचनाओं का समावेश किया गया जो कि अवलोकन व आलेखन के योग्य हो।

उद्देश्य

1. ज्ञान के मौजूदा भंडार में वृद्धि करना।
2. सामाजिक समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझकर दूर करने में सहायक।
3. द्रुतगामी परिवर्तनों के साथ समायोजन में सहायक।
4. सामाजिक विज्ञानों के विकास में सहायक।
5. कल्याण कार्यो में सहायक।

तथ्य का अर्थ

तथ्यों के अन्तर्गत उन सभी सूचनाओं को सम्मिलित कर सकते हैं, जो कि अवलोकन व आलेखन के योग्य हो। वैज्ञानिक ज्ञान के विकास हेतु जिन छोटी–छोटी सूचनाओं को संकलित किया जाता है वे तथ्यों के अन्तर्गत आते है। ऐसी सामग्री का ही सिद्वांतों के निर्माण हेतु प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान हों चाहें सामाजिक विज्ञान सभी विज्ञानों में तथ्य का अपना महत्व है। कहने का तात्पर्य यह है कि तथ्यों के अन्तर्गत ऐसी सामग्री, सूचनाओं व आंकडों को सम्मिलित किया जाता है, जो कि क्षेत्रीय कार्य और द्वैतीयक स्त्रोतों के द्वारा प्राप्त किये जाते है।

तथ्य मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं :–

1. **प्राथमिक तथ्य** – वैसे तो तथ्य समस्या से संबंधित विविधतापूर्ण होते है। किन्तु प्राथमिक तथ्यों के अन्तर्गत वे तथ्य आते है जिनका संकलन शोधकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर स्वयं संकलित किये जाते है।

   पी.वी. यंग के अनुसार देखे तो ''ऐसी सूचनाऐं या सामग्री जिन्हें शोधकर्ता स्वयं या अपने सहयोगियों के साथ मिलकर संकलित करता है प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं''।

2. **द्वितीयक तथ्य** – वे तथ्य जो किसी के द्वारा द्वितीयक स्त्रोतों यानि पत्र–पत्रिकाओं, पुस्तकों, जीवन इतिहास डायरियों, प्रलेख व रिपोर्टस के द्वारा एकत्रित किये जाते है।

   पी.वी. यंग के अनुसार ''द्वितीयक तथ्य वे होते हैं जिन्हें मौलिक स्त्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात् काम में लिया गया हो एवं जिनका प्रसारण अधिकारी उस व्यक्ति से भिन्न होता है जिसने प्रथम बार तथ्य संकलन को नियंत्रित किया था।''

अतः शोधकर्ता, अन्य शोधकर्ता, संस्था, संगठन या किसी सरकारी या गैर सरकारी एजेन्सी द्वारा एकत्रित सामग्री या तथ्यों को स्वयं के अध्ययन हेतु उपयोग करता है द्वैतीयक तथ्य होगें।

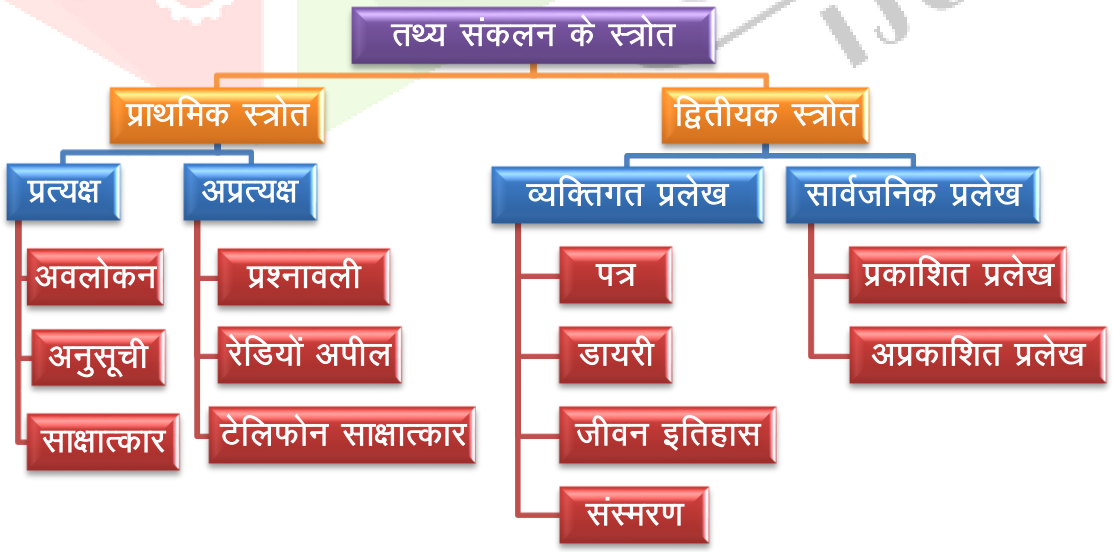

प्राथमिक स्त्रोत के अन्तर्गत सर्वप्रथम जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वे है –

1. **अवलोकन** – अनुसंधान का प्रारंभ और अंत अवलोकन से ही होता है। सर्वप्रथम प्रारंभ में जब सामाजिक विज्ञानों के अन्तर्गत विभिन्न सिद्वांतों का प्रतिपादन हुआ वह अवलोकन से ही हुआ। यहाँ तक कि **न्यूटन** का गुरूत्वाकर्षण का नियम भी अवलोकन के पश्चात् ही प्रारंभ हुआ था। अतः इसी

कारण अवलोकन को अनुसंधान की शास्त्रीय पद्वति के रूप में जाना जाता है। **लीप्ले** का श्रमिक परिवारों पर औद्योगीकरण के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए सहभागिक अवलोकन तथा मैलिनोवस्की का ट्रोब्रियाण्डा द्वीपवासियों का अध्ययन भी अवलोकन विधि द्वारा किया गया।

अतः वर्तमान समय में सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर प्रत्यक्ष एवं वैज्ञानिक रूप से घटनाओं की जानकारी एवं तथ्यों के संकलन के लिए अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है।

2. **अनुसूची** – तथ्य संकलन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में अनुसूची को भी अत्यन्त उपयोगी माना जाता हैं, क्योंकि अनुसूची तथ्य संकलन की ऐसी विधि है जिसमें अवलोकन, प्रश्नावली व साक्षात्कार तीनों विधियों की विशेषताओं का उपयोग किया जाता है।

अनुसूची ''प्रश्नों की वह सूची होती है जिसमें शोधकर्ता स्वयं उत्तरदाता के समक्ष उपस्थित होकर प्रश्न पूछता है और उत्तर भरता जाता है।'' इसी कारण इसका प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही प्रकार के उत्तरदाता के लिए किया जा सकता है।

साधारणतः ये कहा जा सकता है कि अनुसूची अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की वर्गीकृत व व्यवस्थित सूची होती है, जिसमें कि अध्ययनकर्ता पर पूर्णतया नियंत्रण रहता है ताकि वह विषय से परे हट कर किसी प्रकार के प्रश्न ना पूछ सकें।

3. **साक्षात्कार** – साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने–सामने की बातचीत हैं जिसमें एक प्रश्नकर्ता होता है और दूसरा उत्तरदाता/साक्षात्कार को मनौवैज्ञानिक विधि के नाम से भी जाना जाता हैं, क्योंकि इसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता की भावनाओं, विचारों एवं मनोवृत्तियों तथा आंतरिक जीवन का भी अध्ययन करता है। साक्षात्कार एक मौखिक विधि होने के साथ–साथ सामाजिक व मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे कि मनोचिकित्सक भी महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी मानता है।

तथ्य संकलन के द्वितीयक स्त्रोतों की बात करें तो वर्तमान में ये स्त्रोत भी अनुसंधान हेतु उपयोगी माने जाते हैं :–

4. **प्रश्नावली** – प्रश्नावली भी तथ्य संकलन के द्वैतीयक स्त्रोतों में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम आती हैं। जब क्षेत्र बड़ा हो और क्षेत्र की सभी ईकाईयों से संपर्क कर तथ्य संकलन करना असंभव हो तो ये उपकरण सही व सटीक साबित होता है। प्रश्नावली में क्षेत्र की कुछ इकाइयों को प्रतिनिधित्व के रूप में चुनकर उनके पास डाक के द्वारा मुद्रित प्रश्नावली को अपने उद्देश्यों को बताते हुए भेजा जाता है और उत्तरदाता से शीघ्र भरकर भेजने की प्रार्थना की जाती है। किन्तु एक बात जो प्रश्नावली के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है वो यह है कि इसका प्रयोग सिर्फ शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए ही किया जा सकता हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता, उत्तरदाता के समक्ष उपस्थित नहीं होता है।

5. **रेडियों अपील** – कभी–कभी तथ्य संकलन के अप्रत्यक्ष स्त्रोतों के अन्तर्गत रेडियों के द्वारा अपील करके भी तथ्य संकलन किया जाता है।

6. **टेलीफोन साक्षात्कार** – तथ्य संकलन के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में टेलीफोन साक्षात्कार का भी उपयोग किया जाता है। वर्तमान कोविड–19 के दौर में इस प्रकार के साक्षात्कार के द्वारा तथ्य संकलन महत्वपूर्ण माना जाता है।

तथ्य–संकलन के द्वितीयक स्त्रोतों में व्यक्तिगत व सार्वजनिक प्रलेखों को उपयोगी माना जाता हैं–

1. **व्यक्तिगत प्रलेख** – व्यक्तिगत प्रलेखों के अन्तर्गत हम मुख्य रूप से व्यक्ति के जीवन से संबंधित पत्र, दिन–प्रतिदिन की घटनाओं से संबंधित डायरी, जीवन इतिहास – जिसमें कि आत्मकथा व जीवन–चरित्र तथा संस्मरण के द्वारा तथ्य संकलन किया जाता है। व्यक्तिगत प्रलेख के अन्तर्गत शोधकर्ता अपनी सहभागिता निभाकर समूह का गहन अध्ययन भी कर सकता हैं।
2. **सार्वजनिक प्रलेख** – सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा तैयार प्रलेख जिसे कि सार्वजनिक उपयोग के लिए काम में लिया जाता हैं, सार्वजनिक प्रलेख के अन्तर्गत आते है। सार्वजनिक प्रलेख विस्तृत एवं व्यापक जानकारी प्रदान करने वाले विश्वसनीय तथा वस्तुनिष्ठ स्त्रोत होते हैं। इन्हें भी दो भागों में बांटा गया हैं –

   (अ) प्रकाशित प्रलेख – समितियों व आयोगों के प्रतिवेदन शोध संस्थानों के प्रतिवेदन, व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रकाशन, विश्व–स्वास्थ्य संगठन के प्रकाशन, व्यवसायिक संस्थाओं तथा समितियों के रिपोर्टस भी प्रकाशित प्रलेखों के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाते हैं।
3. **(ब) अप्रकाशित प्रलेख** – अप्रकाशित प्रलेखों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के अभिलेख, अनुसंधानकर्ता के प्रतिवेदन, पांडुलिपियां, ऐतिहासिक स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी को भी इनके अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है।

वर्तमान समय में प्रासंगिकता –

उपरोक्त वर्णित तथ्य संकलन के विभिन्न उपकरणों को वर्णित करने का महत्वपूर्ण कारण ये रहा है कि वर्तमान में प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही सामाजिक विज्ञानों का भी विकास हो तथा सामाजिक विज्ञानों में विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ सिद्वांतों का निर्माण हो सके ताकि परिस्थितियां समान रहने पर उनके उपयोग को सार्वभौमिक बनाया जा सकें।

साथ ही सामाजिक जीवन को उत्तमता के साथ समझने और व्याधिकीय समस्याओं का सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने हेतु भी सामाजिक अनुसंधान की प्रविधियां उपयोगी व महत्वपूर्ण मानी जाती है।

संदर्भ सूची :–

डॉ. सिंह एस.के. – सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ – दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, दरभंगा– 2018

डॉ. वर्मा माधुरी – तथ्य संकलन– जवाहर लाल नेहरू ममोरियल पी.जी. कॉलेज, बाराबंकी।

प्रो. गुप्ता एम. एल. एवं डॉ. शर्मा, डी.डी. – सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ – साहित्य भवन पब्लिकेशन– 2005

शर्मा, सी. एल., सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण पद्धतियाँ राजस्थानी हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

Beli Kennath D.- Methods of Social Research the Free Press New York- 1982.

Gopal H.S., An Introduction to Research Process in Social Science, Asia Publication.

Young P.V. – Scientific Social Survey and Research, Printing Hall of Indian Pvt. Ltd. New Delhi, 1992.